8. ट्राइसेम प्रत्येक वर्ष 2 लाख ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करेगा जिससे वे सब–रोजगार प्राप्त कर सकें तथा इन व्यक्तियों को अपने उद्योग धंधे स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा। अनेक राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विशेष रोजगार स्कीमों को और सुदृढ़ तथा विस्तारित किया जाएगा।

9. पर्यावरण स्वच्छता, गंदी बस्तियों का सुधार, पेड़ लगाना, गरीब लोगों के लिए मकान बनाने आदि जैसे कार्यों से बेरोजगार शहरी गरीबों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

10. योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू जन-शक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन के बारे में अपनाई जा रही विकेन्द्रीकृत नीति है। देश के अधिकांश जिलों में स्थापित किए गए जिला जनशक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन परिषदें उन जिलों में स्थानीय स्त्रोतों के वैज्ञानिक उपयोग पर आधारित रोजगार सृजन के लिए नीतियां तथा योजनाएं बनाएगी। परिषदों को उपयुक्त व्यावसायिक समर्थन दिया जा रहा है और जिला रोजगार कार्यालयों, जिला उद्योग केन्द्रों, जिला कृषि कार्यालयों, लीड बैंकों तथा अन्यों द्वारा उनके कार्य में सक्रिय रुप से सहायता दी जाएगी।

11. स्वःनियोजितों के लिए नया व्यवहार, छठी योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। यह नीति संबंधी उपायों का एक पेकेज है जिसमें अलग अलग व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समुहों के स्वः रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन, ऋण सुविधाएं प्रशिक्षण विपणन तथा अन्य उपाय शामिल हैं।

Bonded Labour

2601. SHRI G. NARSIMHA REDDY: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) what punishment was given to those who have kept the bonded labourers under bondage in the States; and

(b) whether any change in law is contemplated to achieve better success in Governments efforts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR): (a) According to the latest information available from the State Governments, 52.54 cases have been registered against the bonded labour keepers under the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976. So far 631 cases have ended in convictions, 1582, in acquittal and the remaining cases are either pending trial in Courts or are pending investigations. A sum of Rs. 1,07,455 has been realised as fines from the offending parties.

(b) There is no proposal to make any changes in the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976.

शिक्षित बेरोजगारों की संख्या

2602. **श्री जयपाल सिंह कश्यप:** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल इंटर स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विधि स्नातक व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल गया है और कितने रोजगार के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं?

श्रम और पुनर्वास संत्रालय में राज्य संत्री श्री धर्मवीर) : (क) और (ख): उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।